

परिणामी बजट वर्ष 2020-21

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, नगर प्रशासन, छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	शहरी गरीबों को रोजगार/स्व:रोजगार हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित कर हितग्राहियों को क्रियान्वयन हेतु	500000	निम्नांकित घटक शहरी गरीबों के लिए क्रियान्वित होंगे :- 1. सामाजिक जुड़ाव एवं संस्थागत विकास 2. कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार 3. स्व-स्वरोजगार कार्यक्रम 4. प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास 5. शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता 6. शहरी वेधर के लिए आश्रय की योजना 7. प्रशासनिक एवं अन्य व्यय 8. सूचना सम्प्रेषण मद	
2	स्मार्ट सिटी	स्मार्ट सिटीमिशन के दृष्टिकोण में इसका उद्देश्य उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है, जो मुख्य अवसंरचना मुहैया कराते हैं और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करते हैं, एक स्वच्छ और सुस्थित वातावरण प्रदान करते हैं और स्मार्ट सिटी के प्रमुख अवरंचना घटक निम्नानुसार है:- 1. पर्याप्त जलपूर्ति 2. सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति 3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित साफ-सफाई 4. सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन 5. विशेषतः गरहबों के लिए किफायती आवास 6. सक्षम आई.टी. कनेक्टीविटी और डिजीटेलाईजेशन 7. सुशासन, विशेषतः ई-गवर्नेंस ओर नागरिक	3960000	स्मार्ट सिटी मिशन में क्षेत्र आधारित विकास के कार्यनीतिक घटक नगर सुधार (रिट्रो फिटिंग), नगर नवीकरण (पुनर्विकास) और नगर विस्तार (हरित क्षेत्र विकास) के अतिरिक्त पैन सिटी प्रयास, जिसमें शहर के बड़े भागों को कवर करते हुए सुव्यवस्थित समाधान (स्मार्ट सॉल्यूशन) लागू किया जाता है ।	

परिणामी बजट वर्ष 2020-21

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, नगर प्रशासन, छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		भागीदारी 8. सुस्थिर पर्यावरण 9. विशेषतः महिलाओं, बच्चों और वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा 10. स्वास्थ्य और शिक्षा			
3	स्वच्छ भारत अभियान	यह केन्द्रीय योजना है । भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार के स्वच्छ भारत मिशन निम्नलिखित 05 घटक में योजना क्रियान्वयन होंगे:- 1. सार्वजनिक शौचालय 2. निजी/व्यक्तिगत शौचालय 3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 4. सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण 5. कैपेसिटी बिल्डिंग/प्रशासनिक व्यय कये जाने हेतु	100000	यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है । भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार निर्मांकित 05 घटक में योजना का क्रियान्वयन होगा:- 1. सार्वजनिक शौचालय 2. निजी/व्यक्तिगत शौचालय 3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 4. सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण 5. कैपेसिटी बिल्डिंग/प्रशासनिक व्यय	
4	सबके लिए आवास योजना	प्रधानमंत्री आवास योजना "सबके लिए आवास योजना" के अन्तर्गत निम्नलिखित घटक के लिये क्रियान्वयन होंगे:- 1. झुग्गी बस्ती पुर्नविकास 2. ऋण से जुड़ी व्याज 3. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी के किफायती आवास का निर्माण 4. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवासों का निर्माण	4150000	वर्ष 2015-2022 तक सभी पात्र परिवारों को 30 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्रफल आकार के अधोसंरचनायुक्त पक्के आवास प्रदान करने के लिए केन्द्राय सहायता का प्रावधान है । प्रथम श्रेणी के शहरों पर विशेष ध्यान देते हुए 04 चरणों में क्रियान्वयन किया जाना है ।	
5	अमृत मिशन	अमृत मिशन हेतु प्रमुख अवरचना घटक	3000000		

परिणामी बजट वर्ष 2020-21

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, नगर प्रशासन, छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		निम्नानुसार है:- 1. जलापूर्ति 2. सिवरेज सुविधाएं ओर सेटेज प्रबंधन 3. बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले 4. पैदल मार्ग, गैर-मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल 5. बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्को और मनोरंजन केन्द्रों का निर्माण और उन्नयन करके शहरों की भव्यता बढ़ाना ।		राज्य के 09 शहरों-रायपुर, बिलसपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कोरबा, जगदलपुर, रायगढ़ एवं अंबिकापुर को अमृत मिशन हेतु चयनित किया गया ।	
6	झुग्गी झोपड़ी पेयजल तथा शौचालय निर्माण	गंदी बस्ती क्षेत्रों में पेयजल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना	94100	नगरीय निकायों में पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था	
7	वॉटर ए.टी.एम. की स्थापना	नगरीय निकायों में स्वच्छ पेयजल प्रदाय किया जाना है ।	50000	168 निकायों में आवश्यकतानुसार वॉटर ए.टी.एम. की स्थापना	
8	मूलभूत सुविधाओं हेतु अनुदान	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार नगरीय निकायों को कार्ययोजना अनुसार आदिवासी उपक्षेत्र, अनुसूचित जाति उपयोजना एवं सामान्य क्षेत्रों के निकायों को पेयजल, प्रकाश, सार्वजनिक शौचालय, साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं लिए अनुदान	824851	168 नगरीय निकायों के लिए निम्नांकित कार्य योजना है:- 1. सीसी रोड निर्माण 2. नाली निर्माण 3. डब्ल्यू बीएम रोड निर्माण 4. प्रकाश व्यवस्था 5. सामुदायिक भवन 6. टोस अवशिष्ट सामग्री क्रय प्रबंधन	
9	विशिष्ट प्रयोजनार्थ	योजनांतर्गत नगरीय निकायों को अन्य विकास कार्य हेतु ऋण एवं अनुदान निश्चित अनुपात में स्वीकृत किया जाता है ।	100000		

परिणामी बजट वर्ष 2020-21

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
				नगरीय निकायों द्वारा तैयार विकास की योजनाओं हेतु तैयार प्रस्तावों पर वित्त विभाग की सहमति अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना में नगर निगम हेतु 70 प्रतिशत ऋण एवं 30 प्रतिशत अनुदान तथा नगर पालिका पंचायत हेतु 60 प्रतिशत ऋण एवं 40 प्रतिशत अनुदान का अनुपात निर्धारित है ।	
10	स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	राज्य के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित कराना	1350	जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाएंगे। 15000 लाभान्वित होंगे ।	
11	नगरीय निकायों की अधोसंरचना विकास योजना	नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास की योजनाओं हेतु अनुदान एवं ऋण	5115549	अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान राशि की मांग की गई है जिसमें अंतर्गत निम्नानुसार कार्य प्रमुखतः से किया जाना है । 1. मास्टर प्लान/सी.डी.पी के मुख्य मार्ग 2. फ्लाइ ओव्हर निर्माण 3. मल्टी लेवर पार्किंग स्थल निर्माण 4. पशु बंध गृह निर्माण 5. नगरीय जल प्रदाय योजना 6. स्पोर्ट्स काम्पलेक्स	